क्रम संख्या–236 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 25 सितम्बर, 2013 ई0

आश्विन 03, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 333/XXXVI(3)/2013/420/36(2)/विसंका/06

देहरादून, 25 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2006"** पर दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2013)

उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्व वसूली (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह 30 अगस्त, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या–1 सन् 1890 की धारा 3 का संशोधन

2– राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (जिसे आगे यहॉं मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराए रख दी जायेंगी, अर्थात :–

"(3) उस भिन्न जिले का कलक्टर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूली के खर्चे सहित वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा, मानो वह ऐसी भू–राजस्व की बकाया हो जो उसके अपने जिले में प्रोद्भूत हुआ हो।

(3–क) उपधारा (3) के अधीन वसूली के खर्चे ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु ऐसे खर्चों की रकम प्रमाण–पत्र में कथित रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

धारा 4 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 4 में, –

(क) उपधारा (1) में –

(एक) शब्द "उसका संदाय" के स्थान पर शब्द "उक्त धारा की उप धारा (3–क) में निर्दिष्ट खर्चे सहित उसका संदाय" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "ऐसी संदत्त रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र में कथित ऐसी संदत्त रकम" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी ; अर्थात :–

"(5) जहां उपधारा (2) के अधीन संस्थित किसी वाद को पूर्णतः या अंशतः डिक्री किया जाता है वहां न्यायालय यह भी निदेश देगा कि व्यतिक्रमी को, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदत्त आनुपातिक खर्चे का, प्रतिसंदाय किया जायेगा।"

धारा 5 का संशोधन

4– मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी ; अर्थात :–

"(3) कलैक्टर, उपधारा (1) के अधीन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूली के खर्चे सहित वसूल करने के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो प्रमाण–पत्र में कथित रकम उसे देय हो और ऐसा खर्चा भी भू–राजस्व की बकाया हो।

(3–क) उपधारा (3) के अधीन वसूली के खर्चे ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु ऐसे खर्चों की रकम प्रमाण–पत्र में कथित रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

धारा 6 का संशोधन

5– मूल अधिनियम की धारा 6 में –

(क) उपधारा (2) में शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित रकम वसूली के खर्चे सहित" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित रकम या वसूली के खर्चे" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (4) में शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित किसी रकम" के स्थान पर शब्द "प्रमाण–पत्र में कथित किसी रकम या वसूली के खर्चे" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

6— मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

कतिपय दशाओं में संग्रहीत धनराशियों को प्रेषित करने का कलैक्टर का कर्तव्य

"10—जहां कोई कलैक्टर, किसी अन्य जिले के कलैक्टर से या किसी अन्य लोक अधिकारी से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से, इस अधिनियम के अधीन प्रमाण—पत्र प्राप्त करता है वहां उस प्रमाण—पत्र के आधार पर अपने द्वारा वसूल की गई राशि को, वसूली के खर्चे के रूप में वसूल की गयी राशि की कटौती करने के पश्चात् उस कलैक्टर या अन्य लोक अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।"

विधिमान्यकरण और पारिमाणिक उपबन्ध

7— किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन किसी व्यतिक्रमी से मूल अधिनियम की धारा 3 या धारा 5 में निर्दिष्ट प्रमाण—पत्र में कथित रकम से अधिक वसूल किये गये वसूली के खर्चे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से वसूल किये गये समझे जायेंगे और कोई भी व्यतिक्रमी ऐसे खर्च की वापसी का हकदार न होगा और यदि ऐसे खर्चे इस प्रकार वसूल न किये गये हों तो वे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन व्यतिक्रमी से वसूल किए जा सकेंगे, मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट
प्रमुख सचिव।

No. 333/XXXVI(3)/2013/420/36(2)/विसंका/06
Dated Dehradun, September 25, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the President is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Revenue Recovery (Uttaranchal Amendment) Act, 2006'** (Adhiniyam Sankhya 28 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the President on 04 September, 2013.

The Revenue Recovery (Uttaranchal Amendment) Act, 2006

(Uttarakhand Act No. 28 of 2013)

An

Act

Further to amend the Revenue Recovery Act, 1890 in its application to Uttaranchal.

It is hereby enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement

1- (1) This Act may be called the Revenue Recovery (Uttaranchal Amendment) Act, 2006

(2)It shall extend to the whole of Uttaranchal.

(3)It shall be deemed to have come in to force On August 30, 1974.

Amendment of Section 3 of Act No.1 of 1890

2- In section 3 of Revenue Recovery Act, 1890, hereinafter referred to as the of principal Act, for Sub- section (3) the following sub-sections shall be substituted, namely

"(3) The Collector of the other district shall, on receiving the certificate, proceed to recover the amount stated therein, together with the costs of the recovery, as it were an arrear of land revenue which had accrued in his own district.

(3-a) The costs of the recovery under sub-section (3) shall be such as may be specified by the State Government by notification but the amount of such costs shall not exceed ten percent of the amount stated in the certificate."

Amendment of Section 4

3- In section 4 of the principal Act-

(a) In sub-section (1)-

(I) for the words "pays the same" the words "pays the same together with the costs referred to in sub section (3-a) of the said section" shall be substituted:

(II) For the words "repayment of the amount" the words "repayment of the amount stated in the certificate" shall be substituted:

(b) After sub-section (4) the following sub-section shall be added, namely:-

"(5) where a suit instituted under sub-section (2) is decreed, wholly or partly, the court shall also direct that the defaulter shall be repaid the proportionate costs paid by him under sub-section (1)."

Amendment of section 5

4- In section 5 of the principal Act, for sub-section (3) the following sub-sections shall be substituted, namely:-

"(3) The Collector shall, on receipt of the certificate under sub-section (1), proceed to recover the amount stated therein, together with the costs of the recovery as if the amount stated in the certificate were payable to himself and such costs were also an arrear of land revenue.

(3-a) The costs of the recovery under sub-section (3) shall be such as may be specified by the State Government by notification but the amount of such costs shall not exceed ten per cent of the amount stated in the certificate."

Amendment of section 6

5- In section 6 of the principal Act,-

(a) In sub-section (2) for the words "in the certificate" the words "in the certificate together with the costs of the recovery" shall be substituted;

(b) In sub-section (3) for the words "in the certificate" the words "in the certificate or the costs of such recovery" shall be substituted;

(c) In sub-section (4) for the words "in the certificate" the words "in a certificate or the costs of such recovery" shall be substituted.

Amendment of section 10

6. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

Duty of Collectors to remit moneys collected in certain cases

"10, Where a Collector receives a certificate under this Act from the Collector of another district or from any other public officer or from any local authority he shall remit the sum recovered by him by virtue of the certificate to the Collector or the other public officer or the local authority after deducting the sum recovered as costs of the recovery."

Validation and Consequential provisions

7. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, the costs of a recovery recovered over and above the amount stated in the certificate referred to in section 3 of section 5 of the Principal Act from a defaulter under an order of the State Government, shall be deemed to have been validly recovered under the principal Act as amended by this Act and no defaulter shall be entitled for refund of such costs, and if such costs have not been so recovered the same shall be recoverable from the defaulter under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 61 विधायी/547–2013–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।